क़स्र की सही और ज़्यादा मुनासिब दूरी

फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

क़स्र की सही और ज़्यादा मुनासिब दूरी

लेखक

फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

अनुवादक

अहमद नदीम नदवी

पुस्तक का नामः क़स्र की सही और ज़्यादा मुनासिब दूरी

Qasr ki Sahih Aur Zayada Munaseeb Duri

लेखकः फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

अनुवादकः अहमद नदीम नदवी

प्रथम प्रकाशन : 2004

ISBN 81-7101-510-7

Published by

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD.

168/2, Jha House, Hazrat Nizamuddin

New Delhi-110 013 (India)

Tel.: 2692 6832/33 Fax: +91-11-2632 2787

Email: **sales@idara.com idara@yahoo.com**

Visit us at: **www.idara.com**

Typesetted at: **DTP Division**

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD.

P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

विषय-सूची

क़स्र की सही और ज़्यादा मुनासिब दूरी

हामिदंब-व मुसल्लियन

सवाल— कम से कम कितनी दूरी के सफ़र के इरादे पर नमाज़ में क़स्र करना चाहिए।

जवाब— क़स्र की कम से कम मुसाफ़त (दूरी) (फ़िक़्ह की किताबें दुर्रे मुख़्तार, शामी वग़ैरह की रोशनी में) 31-83 किलोमीटर (तर्तीबवार) है, इससे कम में क़स्र जायज़ नहीं, हां इससे ज़्यादा के क़ौल हैं। चुनांचे दूसरे क़ौल के लिहाज़ से 97. 99 किलो मीटर क़स्र की दूरी है। इसकी तफ़्सील यह है—

हनफ़ियों का असल मज़्हब यह है कि कोई तीन दिन रात की दूरी का क़स्द करके निकले, तो मुसाफ़िर होता है, लेकिन हर शख़्स को इसका अन्दाज़ा करना मुश्किल होगा, फिर हमवार रास्ता और ऊंचे-नीचे रास्तों में भी फ़र्क़ पड़ेगा, इसलिए हनफ़ी बुज़ुर्गों ने इसकी फ़रसख़ों के ज़रिए हद बन्दी कर दी, ताकि मुसलमानों को आसानी हो जाए, चुंनाचे हनफ़ी फ़ुक़हा के तीन क़ौल अल्लामा शामी वग़ैरह ने ज़िक्र किए हैं (ये क़ौल हमवार रास्ते के लिए हैं) वे क़ौल ये हैं—

1. इक्कीस फ़रसख़ यानी 63 मील शरई। (इस क़ौल पर किसी का फ़त्वा देना अल्लामा शामी ने ज़िक्र नहीं किया)

2. अठारह फ़रसख़ यानी 54 मील शरई। (अल्लामा शामी ने फ़रमाया, इसी पर फ़त्वा है, इसलिए कि यह दर्मियानी क़ौल है।)

3. पन्द्रह फ़रसख़ यानी 45 मील शरई। (शामी में मुज्तबा से ख़्वारज़्म के इमामों का फ़त्वा इस पर नक़्ल किया है।) —भाग 1, पृ० 57

ये क़ौल हनफ़ियों के हैं। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई (एक क़ौल के मुताबिक़) और इमाम अहमद के यहां क़स्र की दूरी चार बरीद[1] यानी 16 फ़रसख़ है। (48 मील शरई) (मआरिफ़ुस्सुनन, भाग 4, पृ० 473) इन लोगों ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु व इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ेल (काम) को

---

1. एक बरीद 4 फ़रसख़ का और फ़रसख़ 3 मील शरई का और मील शारई 4 हज़ार ज़िराअ़ का और ज़िराअ़ 24 अंगुल का होता है।

(शामी, भाग 1, पृ० 527 और औज़ाने शरईया, मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब, पृ० 24

दलील बनाया है कि दोनों 16 फ़रसख़ यानी 48 मील शरई पर क़स्र किया करते थे, जैसा कि उनके इस फ़ेल (काम) का ज़िक्र हुआ है।

—मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 130, सहीह बुख़ारी, भाग 1, पृ० 147

अकाबिर देवबन्द में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० ने इसी के मुताबिक़ फ़त्वा दिया है।

(फ़तावा रशीदिया, पृ० 423 फ़ैज़ुलबारी भाग 2, पृ० 397 और अल-उर्फ़ुश-शज़ी मय तिर्मिज़ी पृ० 121)

अब ये कुल चार क़ौल हो गए।

एक शरई फ़रसख़ 5 किलो मीटर और 554 मीटर के बराबर होता है, जैसा कि डाक्टर मुहम्मद अहमद इस्माईल अल-ख़ारोफ़ ने अला नज्मुद्दीन इब्नुर्रफ़आ अंसारी, मृत्यु 710 हि० की किताब 'अल-ईज़ाहु वत्तिबयानु फ़ी मार-फ़तिल मिकयाल वल मीज़ान' के आख़िर में लिखा है। (तामीरे हयात नदवतुल उलेमा लखनऊ) इसलिए ज़िक्र किए गए क़ौलों के किलोमीटर नीचे लिखे जाते हैं—

21 फ़रसख़ : 116-634 (इस पर किसी का फ़त्वा देना मालूम नहीं)

18 फ़रसख़ : 972-99 किलो मीटर

(अलैहिल फ़त्वा कमा फ़िश्शामी, भाग 1, पृ० 527

3\. 15 फ़रसख़ : 83-31 किलोमीटर (शामी, भाग 1, पृ० 527)

4\. 16 फ़रसख़ : 864.88 किलोमीटर

(मालिक, शाफ़ई, अहमद, फ़त्वा शेख़ जंजूही व शेख़ कश्मीरी)

फ़रसख़ से किलोमीटर बनाने में कुछ फ़र्क़ भी पड़ सकता है। (अहसनुल फ़तावा, भाग 4, पृ० 95 पर लिखे मिक़्दार से कुछ कम मिक़्दार बताई गई है।

हज़रत गंगोही और अल्लामा कश्मीरी ने तीन इमामों की मुवाफ़क़त में 48 मील शरई पर फ़त्वा दिया था, न कि 48 मील अंग्रेज़ी पर। हज़रत गंगोही के फ़त्वे में चार बरीद और मुअत्ता की रिवायत का ज़िक्र है और अल्लामा कश्मीरी के कलाम में इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद का और ज़ाहिर है कि ये इमाम 48 मील शरई के क़ायल थे, न कि अंग्रेजी के।

अल्लामा शामी के क़ौल से मालूम हुआ कि वह क़ौल जिस पर फ़त्वा है 18 फ़रसख़ यानी 972.99 किलोमीटर है। मुफ़्ती रशीद अहमद मद्द ज़िल्लहू ने इसी पर अमल को एहतियात बताया है।

48 मील शरई यानी 88.864 किलो मीटर देवबन्द के बड़ों का पसन्दीदा है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब०

ऊपर जो बाते अर्ज़ की गई हैं वह ज़रा मुख़्तसर और पूरी तरह साफ़ नहीं हैं, इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि उसकी कुछ तफ़्सील ज़िक्र कर दी जाए, ताकि इस मौज़ू पर ग़ौर करने वाले को आसानी हो जाए और 48 मील अंग्रेज़ी की जो शोहरत है, उसका ज़ेफ़ ज़ाहिर हो जाए।

हनफ़ियों की असल दलील

इमाम अबू हनीफ़ा रह० का जो असल मज़हब है कि तीन दिन रात का इरादा कर के बस्ती से निकलने वाला मुसाफ़िर है। इसकी दलील मरफ़ूअ सहीह हदीस है।

(मुस्लिम, भाग 1, पृ० 65)

इसके अलावा भी और सहीह हदीसें हैं— आसारुस्सुनन लिन्नबवी, पृ० 263

इस हदीस का तक़ाज़ा है कि हर मुसाफ़िर को यह मौक़ा हासिल हो। यह उसी वक़्त हो सकता है जब कि कम से कम शरई सफ़र की मिक़्दार तीन दिन-रात की मुसाफ़त क़रार दी जाए, इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने तीन दिन-रात को कम से कम क़स्र की मुसाफ़त क़रार दिया और शरई मुसाफ़िर को क़स्र का हुक्म है, इसलिए यही मुसाफ़त क़स्र की मुसाफ़त क़रार पाई।

यह बात ज़ाहिर है कि कोई मुसाफ़िर रात-दिन बराबर सफ़र नहीं कर सकता, इसलिए मालूम करना होगा कि तीन दिन-रात की मुसाफ़त क्या होगी। कितनी देर रोज़ाना सफ़र का एतबार होगा, कितना वक़्त आराम के लिए निकाला जाएगा, जिसमें खाना-पिना, नमाज़ पढ़ना भी होगा, फिर रास्ते भी एक जैसे नहीं होते, कोई हमवार होता है, कोई ऊंचा-नीचा। हर मुसाफ़िर की ताक़त और रफ़्तार भी एक जैसी नहीं होती। इसलिए इस मसले में अमल करने के लिए इन तमाम बातों को तै करना होगा, आम लोगों के हवाले कर देने में सख़्त इख़्तिलाफ़ होगा।

इमाम अबू हनीफ़ा रह० से सिर्फ़ इतना नक़ल किया जाता है कि तीन दिन-रात की दूरी ऊंटों की चाल और क़दम की चाल से मोतबर है। इमाम मुहम्मद 'किताबुल हुज्जः अला अह्लि मदीना' में लिखते हैं, 'इमाम अबू हनीफ़ा रह० कहते हैं कि नमाज़ में क़स्र नहीं है तीन दिन व रात के कम सफ़र में, ऊँट के ज़रिए या पैदल।

(भाग 1, पृ० 166)

यही बात उन्होंने अपनी (मुअत्ता, पृ० 129 और अल-जामि उस्सग़ीर, पृ० 84) में भी ज़िक्र की है।

बाद में फ़ुक़हा किराम ने कुछ और क़ैदें भी बढ़ाई, जैसे दर्मियानी चाल

से आदत के मुताबिक़ आराम के साथ यह मुसाफ़त मोतबर होगी।

—दुर्रे मुख़्तार, भाग 1, पृ० 527 मय रद्दुल मुख़्तार

इस पर अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने फ़रमाया, इस क़ैद से बैल गाड़ी को खींचने वाली सवारी ख़ारिज हो गई, इसलिए कि यह रफ़्तार बहुत सुस्त होती है। साथ ही घोड़े और बरीद (डाक ले जाने वाले तेज़ रफ़्तार जानवर) की रफ़्तार भी मुराद नहीं, इसलिए कि उनकी रफ़्तार बहुत तेज़ हुआ करती है। (भाग 1, पृ० 527, रद्दुल मुख़्तार, एडीशन नोमानिया देवबन्द) साथ ही यह भी शर्त नहीं कि पूरे दिन सफ़र हो, बल्कि ज़वाल तक जितना सफ़र हो सके, उसका एतबार है।

(दुर्रे मुख़्तार, भाग 1, पृ० 526)

इस पर अल्लामा शामी लिखते हैं, इसलिए ज़वाल तक सफ़र को पूरे दिन का सफ़र समझा जाएगा।

कुछ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया, साल के छोटे दिन का एतबार होगा।

—शामी, भाग 1, पृ०526

दुर्रे मुख़्तार की पूरी इबारत यह है, मज़हब में फ़रसख़ का एतबार नहीं। इमाम साहब से एक रिवायत मरहलों की भी है। हिदाया में है 'अत-तक़्दीरु बिल मराहिल वहु-व क़रीबुम मिनल अव्वल'०

लेकिन मराहिल की भी कोई हद इमाम अबू हनीफ़ा या उनके साथियों से नक़ल नहीं की गई। हासिल यह कि असल मज़हब तीन दिन और रात की मसाफ़त है। 'सैर इबिल' और 'मशियल अक़्दम' से इससे ज़्यादा कोई बात असल मज़हब में नहीं, साल के सबसे छोटे दिन की क़ैद, इसी तरह ज़वाल तक सफ़र की क़ैद बुज़ुर्गों ने लगाई है, असल मज़हब नहीं।

हदीसों से मालूम होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सुबह से दोपहर के क़रीब तक सफ़र होता था। इफ़्कि आइशा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में हैं, फ़रमाती हैं कि हम दोपहर में लश्कर के पास पहुंचे जबकि वह उतरे हुए थे। मालूम हुआ कि दोपहर यानी निस्फ़ुन्नहार से पहले लश्कर आराम के लिए उतर गया था। —बुख़ारी, भाग 2, पृ०594-96

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल यह ज़िक्र करते हैं—

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सूरज के ज़वाल से पहले कूच करते तो ज़ुहर को अस्र तक मुअख़्ख़र करते, फिर उतर के दोनों को जमा करते और

अगर रवानगी से पहले ज़वाल हो जाता तो ज़ुहर पढ़ कर सफ़र करते। साथ ही हज़रत का इर्शाद है—

'दिन के शुरू में चलो और ज़वाल के बाद और कुछ रात के अंधेरे में भी, यह मुसाफ़िर के निशात के वक़्त हैं।' —फ़त्हुलबारी, भाग 1, पृ०95

इन हदीसों से यह मालूम होता है कि मुसाफ़िर सिर्फ़ सुबह को, ज़वाल तक सफ़र नहीं करता, बल्कि ज़वाल तक सफ़र करने की क़ैद दलील की मुहताज होगी। अल्लामा शामी ने जो दलील पेश की है उससे तो यह मालूम होता है कि पूरे दिन-रात सफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़वाल ही तक सफ़र की हदबन्दी साबित नहीं होती, आख़िर ऊपर की रिवायतों में जिस सफ़र का ज़िक्र है, उनमें भी तो नमाज़ और खाने-पीने, साथ ही आराम के लिए उतरा जाता था, फिर भी ज़वाल के बाद और रात को सफ़र होता था, इसी लिए ज़ुहर और अस्त्र, साथ ही मग़्रिब और इशा के जमा करने का मस्ला हदीसों में आता है, जो कसीर मशहूर और सहीह हैं, फिर ज़वाल तक सफ़र क्यों महदूद किया गया? इसका जवाब भी मालूम करना होगा।

बहरहाल ज़ाहिर रिवायत में जितनी बात ज़िक्र की गई थी, उस पर अमल करना आम मुसलमानों के लिए मुश्किल था, इसलिए कि तीन दिन रात की मुसाफ़त मालूम करना हर आदमी का काम नहीं। इस ज़रूरत का एहसास करके बुज़ुर्गों ने अन्दाज़ा किया कि तीन दिन तीन रात की मसाफ़त हमवार रास्ते में फ़रसख़ के लिहाज़ से क्या होगी? अगरचे ज़ाहिर रिवायत में फ़रसख़ों का एतबार नहीं, लेकिन आम लोगों की आसानी के लिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई और इसकी नज़ीरें फ़िक़्ह में मौजूद हैं। जैसे ज़्यादा पानी की मिक़्दार ज़ाहिर रिवायत में मौजूद नहीं, बल्कि मसला यह था कि इसके शिकार शख़्स की असल राय में अगर यह आता है कि एक तरफ़ पड़ने वाली नजासत दूसरी ओर नहीं जाती तो वह ज़्यादा पानी है, लेकिन इसका अन्दाजा आम लोगों के लिए मुश्किल था, इसलिए मज़हब के बड़ों ने आसानी के लिए उसका अन्दाज़ा किया और दह दर दह के साथ उसको तै कर दिया और उसी पर फ़त्वा दिया।

अल्लामा शामी रह० ने बहस करने के बाद आख़िर में लिखा, यानी मज़हब न होने के बावजूद मज़हब में महारत रखने वालों ने जो अन्दाज़ा करके बतला दिया, हमको उसी की पैरवी करनी चाहिए (इसलिए कि यह मज़हब से निकलना नहीं, बल्कि मज़हब की तश्रीह है।)

इसी तरह यहां बुज़ुर्गों ने ज़ाहिर रिवायत में ज़िक्र की गई मुसाफ़त का अन्दाज़ा करके बता दिया, इसलिए हमको उनकी पैरवी करनी चाहिए। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी थानवी रह० इसी क़स्र की दूरी के बहस में लिखते हैं।

'यह बिल्कुल वैसे ही है कि किया लोगों ने उसे पानी के बाब में।'

—एलाउस्सुनन, भाग 7, पृ० 249

इसी तरह हज़ानत के हक़ के मसले में बच्ची के लिए 9 साल और बच्चे के लिए 7 साल की हद मुक़र्रर की गई और उस पर फ़त्वा दिया जा रहा है, हालांकि ज़ाहिर रिवायतों में किसी ख़ास उम्र का ज़िक्र नहीं था।

(देखिए शामी, भाग 2, पृ० 640)

हज़रत शेख मुहम्मद ज़करिया रह० लिखते हैं—

लेकिन बाद के लोगों ने फ़रसख़ पर उम्मत की आसानी के लिए फ़त्वा दे दिया।

—अंवजज़ुल मसालिक, भाग 3, पृ० 161

तो इसी तरह क़स्र की दूरी तै करने में बुज़ुर्गों पर मज़हब की मुख़ालफ़त का इलज़ाम नहीं आ सकता।

इस मसले में हमारे बुज़ुर्गों के तीन क़ौल है—

1. इक्कीस फ़रसख़, 2 अठारह फ़रसख़, 3 पन्द्रह फ़रसख़

पहले क़ौल पर किसी का फ़त्वा नक़ल नहीं किया गया। दूसरे क़ौल पर बहुत से लोगों ने फ़त्वा नक़ल किया। ऐनी ने उम्मतुल क़ारी में लिखा 'आम तौर पर बुज़ुर्गों ने फ़रसख़ तै कर दिया' फिर तीनों क़ौल, जिनका ज़िक्र किया गया, नक़ल किए गए। अठारह वाला क़ौल ज़िक्र करके लिखा 'मरग़यानी का यही क़ौल है और इसी पर फ़त्वा है।'

—उम्दा, भाग 7, पृ० 125

शामी ने कहा, फ़त्वा दूसरे पर है इसलिए कि वह दर्मियानी है।

(भाग 1, पृ० 527)

बहरुर्राइक़ में है—'निहाया में फ़त्वा है तीस फ़रसख़ का एतबार करके'

—आसारुस्सुनन, भाग 2, पृ० 129

जवामिउल फ़िक़्ह ही अख़्तियार किया गया। (इनायाः, पृ० 261)

मुहीत के मुताबिक़ फ़त्वा 22 पर है, इसलिए कि वही बीच की अदद है। (इनायः मअल फ़त्ह, भाग 2, पृ० 5), तीसरे क़ौल पर भी कुछ लोगों ने फ़त्वा नक़ल किया है। शामी में लिखा है, तीसरे पर अक्सर इमामों ने फ़त्वा दिया है।

(भाग 2, पृ० 129)

इन बातों से मालूम हुआ कि अक्सर मशाइख़ ने फ़रसख़ में मिक़्दार बताई है और ज़्यादा तर लोगों ने 18 फ़रसख़ के क़ौल पर फ़तवा दिया इसलिए उसी को तर्जीह होनी चाहिए। (देखिए दुर्रे मुख़्तार, भाग 1, पृ० 48)

इमाम मुहम्मद रह० किताबुल हुज्जः में बयान फ़रमाते हैं, क़स्र की जगह पूरा करना पूरे की जगह क़स्र से ज़्यादा पसन्दीदा है। वजह इसकी ज़ाहिर है कि पहली जगह नमाज़ हो जाएगी, चाहे कराहत से ही हो, लेकिन पूरे की जगह पर क़स्र से नमाज़ ही नहीं होगी।

इस उसूल का तक़ाज़ा तो यह था कि इक्कीस वाले क़ौल पर अमल होता, लेकिन इसके बारे में तस्हीह और तर्जीह न होने की वजह से उसको छोड़ना पड़ा।

किताबुल हुज्जः में इमाम मुहम्मद की इबारत से मालूम होता है कि तीन दिन-रात की दूरी 48 मील शरई से ज़्यादा है। लिखते हैं कि कोई औसत तीन दिन की दूरी से कम पर निकले लेकिन चार बरीद की दूरी तो पूरा करेगी, इसलिए कि मुसाफ़िर नहीं। (भाग 1, पृ० 167) मानी के हिसाब से और ऊपर का कलाम भी मदीना वालों के मुक़ाबले में था, जो 48 मील शरई के क़ायल थे। इस लिए इमाम मुहम्मद के कलाम की रोशनी में भी 54 मील शरई को क़स्र की दूरी क़रार देना औला और बेहतर होगा, इसलिए कि यह 48 मील शरई से ज़्यादा है और जिन बुज़ुर्गों ने यह मिक़्दार तै की है, तीन दिन की मुसाफ़त समझ कर इब्ने इलहाम कहते हैं, जिन लोगों ने यह मिक़्दार मान ली है, उनका एतक़ाद तीन दिन की मसाफ़त पर है। (फ़त्ह, भाग 2, पृ० 5) इसलिए इब्ने नजीम का इसको मज़हब के ख़िलाफ़ और नस्स के ख़िलाफ़ समझना (बह्र, भाग 2, पृ० 129) ताज्जुब की बात है। अब हम देवबन्द के अकाबिर (बड़ों) के फ़त्वों पर नज़र डालेंगे।

इस मसले में उलेमा-ए-देवबन्द की रायों और उनके क़ौलों में तर्जीही क़ौल की तलाश

उलेमा-ए-देवबन्द के बड़े हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही क़द्द-स सिर्रहू ने चार बरीद यानी 48 मील शरई को सहीह हदीसों के मुताबिक़ क़रार दिया है। सवाल का जवाब देखिए—

सवाल— सफ़र की दूरी की कितनी मिक़दार में क़स्र करना चाहिए?

जवाब— चार बरीद, जिसकी सोलह-सोलह मील की तीन मंज़िल होती है हदीस मुअत्ता इमाम मालिक से साबित होती हैं मगर मील की मिक़्दार

अलग-अलग है, इसलिए तीन मंज़िल सब क़ौलों की जमा करने वाली हो जाती है। फ़क़त वल्लाहु तआला आलम०

सवाल—फ़रसख़ और मील की कितनी हद बन्दी एतबार वाली है?

जवाब— फ़रसख़ तीन मील का और मील चार हज़ार क़दम का कहा जाता है, मगर यह सब लगभग वाली बातें हैं। असल मील उस दूरी का नाम है कि नज़र मेल करे और यह भी अलग-अलग है, वक़्त और जगह और देखने वाले के एतबार से। वल्लाहु तआला आलम। —रशीद अहमद उफ़ि-य अन्हु।

—फ़तावा रशीदिया, पृ० 423

हज़रत गंगोही रह० का मक़्सद 48 मील शरई को कस्र की दूरी बताना मालूम होता है इसलिए कि बरीद 12 मील शरई का होता है जो चार बरीद के 48 मील शरई हुए और शायद इस मिक़्दार को हज़रत रह० हनफ़ी मस्लक (तीन दिन रात या तीन मरहला व मंज़िल) के ख़िलाफ़ नहीं समझते, बल्कि इसका मिस्दाक़ समझते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने अगरचे कुछ मिक़्दारों का ज़िक्र किया है, लेकिन हज़रत गंगोही रह० के नज़दीक इब्ने अब्बास और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ौल पर अमल करना बेहतर होगा। हज़रत गंगोही ही जैसे बुज़ुर्ग को यह हक़ है कि ऐसा फ़ैसला करें और उनका यह क़ौल मज़हब से खुरूज भी न होगा।

तक़रीर तिर्मिज़ी में हज़रत गंगोही रह० ने फ़रमाया, हमारी पसन्द की हुई वह मिक्दार जिससे कोई मुसाफ़िर शरई होता है उसकी दलील मुअत्ता की रिवायत है कि चार बरीद या उसके मिस्ल से कम में क़स्र न करें और बरीद चार फ़रसख है और फ़रसख तीन मील से कम व बेश है,

واما ان مقدار الذی یعد به مسافراً شرعیاً ما اخترنا ہ فالدلیل علیه مارواہ مالك مرفوعاً لا نقصر۔

من اقل من اربعة برداو نحوذالك والبرید اربع فراسخ والفرسخ قریب من ثلاثة امیال الی الزیادۃ (الکوکب الدری جلد ۱، صفحہ ۴۳۹) باب ما جاء فی کم تقصر الصّلوۃ۔

ما يجب فيه قصر الصّلوٰة ـ مالك عن نافع ان ابن عمرؓ كان اذا خرج حاجاً او معتمراً قصر الصلوٰة بذى الحليفة۔ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه انه ركب الى ريم فقصر الصّلوٰة فى مسيرة ذلك ۔قال يحيٰى قال مالك وذلك نحو من اربعة برد۔ مالك عن نافع عن سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر ركب الىٰ ذات النُصب فقصر الصّلوٰة فى مسيرة ذلك۔ قال يحيٰى قال مالك وبين ذات النُصب والمدينة اربعة برد۔

مالك انه بلغه ان عبدالله بن عباس كان يقصر الصّلوٰة فى مثل ما بين مكة والطائف وفى مثل ما بين مكة وعسفان وفى مثل ما بين مكة وجدة قال يحيى قال مالك وذلك اربعة برد۔ قال يحيىٰ قال مالك و ذلك احب ما يقصر الصلوة الى۔ (مؤطا امام مالک صفحہ ۱۳۰)

हज़रत गंगोही रह० शायद इन्हीं रिवायतों की तरफ़ इशारा फ़रमा रहे है। (इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अलग-अलग रिवायतें की गई हैं, उनमें तत्बीक़ व तर्जीह के लिए एलाउस्सुनन, भाग 7, पृ० 239 और उसके बाद).

(यही बात) हज़रत शेख ज़करिया अवजज़ में लिखते हैं।

ولا يذهب عليك ان الشيخ الجنجوهى على ما حكاه الوالد فى تقرير الترمذى قال: ان الصحيح فى استدلال الحنفية هى رواية مالك فى المؤطا: اربعة برد علىٰ هذا فلا خلاف بين الائمة فى ذلك۔ (اوجز جلد ۳، صفحہ ۱۰۱)

इमाम बुख़ारी रह० ने भी इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायतें तालीक़न अर्ज़ की हैं।

وكان ابن عمرؓ وابن عباسؓ يقصران ويفطران فى اربعة بردو هو ستة عشر فرسخاً۔ (باب فی کم تقصر الصلوٰۃ صفحہ ۱۴۷ بخاری)

(बाब फ़ी कम तक़सरुस्सलात, पृ० 147, बुख़ारी)

अल्लामा शब्बीर उसमानी रह० ने भी हज़रत गंगोही के फ़त्वे, बल्कि अपने बज़ुर्गों के अख़्तियार किए हुए क़ौल का ज़िक्र किया है। फ़त्हुल मुलहिम शरह सहीह मुस्लिम में शामी से तीनों क़ौल नक़ल करके इसकी और वज़ाहत कर देते हैं।

والفرسخ ثلا ثة اميال فالقول الثالث (قول خمسة عشر فرسخاً) قريب من القول باربعة بردوهی ستة عشر فرسخاً کما هو مذهب مالك وغيره وقد روى البخاری تعليقا فی صحيحه والبيهی اسناداً عن عطاء بن ابی رباح ان ابن عُمروَ ابن عباس کا نایصلیّان رکعتين ويفطران فی اربعة برد۔ قال ابوعمر بن عبدالبر هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات متصل الاسناد عنه من وجوه وقد اختلف عن ابن عمر فی تحديد ذلك كثيراً واصح ماروی عنه مارواه ابنه سالم ونافع انه کان لا يقصرا لافی اليوم التام اربعة برد اھ۔ قلت وهذا هُوَ المختار عند شيو خنا وقد افتیٰ به مولانا الشيخ رشيد احمد الجنجوهی قدس سرهٗ۔ (فتح الملہم جلد۲، صفحہ ۲۵۲)

इससे यह बात बिलकुल साफ़ है कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि के बुज़ुर्गों का फ़त्वा, इसी तरह हज़रत गंगोही का फ़त्वा 48 मील शरई चार बरीद पर था, क्योंकि बरीद बारह मील शराई का होता था, न कि मील अंग्रेज़ी का। इस इबारत से पूरी सफ़ाई के साथ दारुल उलूम देवबन्द की राएं मालूम की जा सकती हैं।

इसके फ़ौरन बाद मौलाना उस्मानी ने शाह वली युल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक इबारत नक़ल की है, इससे मालूम होता है कि मुहद्दिस देहलवी भी चार बरीद की हद का एतबार करते थे।

ومن لازمه ان يكون مسيرة يومٍ تام وبه قال سالم لكن مسيرة اربعة برد متيقن وما دونه مشكوك وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد او حلة القرية او بيوتها بقصد موضع هو على اربعة بردو زوال هذا الاسم انما يكون بنية الا قامة مدة صالحة يعتدبها فی بلدة او قرية اھ۔

(فتح الملہم جلد۲، صفحہ ۲۵۲)

इससे मालूम हुआ कि शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी का मुख़्तार (क़ौल भी यह था कि) इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दिन की दूरी और तीन दिन की दूरी और एक बरीद की दूरी के जो क़ौल हैं, उनमें टकराव नहीं, बरीद और तीन दिन तो बराबर हो सकते हैं। एक दिन की दूरी में तेज़ रफ़्तार

ऊंटनी की चाल मुराद होगी और बरीद में या तीन दिन में दर्मियानी चाल की सवारी।

एलाउस्सुनन में मौलाना ज़फर अहमद लिखते हैं—

فیمکن ان یری هو (ابن عمر ﷺ) فی مسافة انها مسیرة ثلاثة ایام ای بسیر وسط کسیر الزاملة من البعیر ویری ابنه (سالم) انها مسیرة یوم واحد ای بسیر راکب مجد علی راحلة هَو جاء۔ (اعلاء السنن جلد ۷، صفحہ ۲۴۰)

अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० ने फ़रमाया, तक़रीर बुख़ारी में है कि मैं 48 मील पर फ़त्वा देता हूं।

पूरी इबारत यह है।

ومسافة القصر فی المذهب مسیرة ثلاثة ایام ولیا لیها ثم حولوها الی التقدیر با لمنازل فاختلفوا فیه علیٰ اقوال منها ستة عشر فرسخاً کل فرسخ ثلاثة امیال فتلك ثمانیة و اربعون میلاً کما فی الحدیث (لعل المراد به حدیث ابن عباس و ابن عمر المذکور فی البخاری ۱۲ فضل اعظمی) وبه اُفتِی لکونه مذهب الأخرین۔ (فیض الباری جلد ۲، صفحہ ۳۹۷)

फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में 16 फ़रसख़ का क़ौल नहीं मिलता, लेकिन अल्लामा कश्मीरी की मंशा वाज़ेह है कि दूसरे इमाम मुज्तहिद मालिक, शाफ़ई, अहमद रहमहुमुल्लाह के क़ौलों के मुताबिक़ फ़त्वा देना चाहते हैं। अल उर्फ़ुश-शज़ी तक़रीर तिर्मिज़ी में भी यही बात ज़िक्र की गई है। अल्फ़ाज़ यह है।

واقوال الاحناف فی مسافة القصر کثیرة ذکر ها فی البحر والاقوال من ستة عشر فرسخاً الی واحد و عشرین وفی قول ثمانیة واربعون میلاً وهو المختار لانه موافق لاحمد والشافعی۔ (العرف الشذی مع الترمذی صفحہ ۱۲۱)

इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि अल्लामा कश्मीरी इमाम अहमद और इमाम शफ़ई के मुताबिक़ फ़त्वा देना चाहते हैं और इसके पहले यह बताया गया है कि इन दोनों का मस्लक 48 मील का है और ज़ाहिर है कि इन लोगों का मस्लक 48 मील शरई का है, इसलिए अल्लामा कश्मीरी का पसन्दीदा क़ौल अड़तालीस मील शरई का हुआ।

लेकिन हमारी फ़िक़्ह की किताबों में कोई क़ौल 48 मील का नहीं, बल्कि पन्द्रह फ़रसख़ यानी 45 मील का एक क़ौल है। अल्लामा यूसुफ़ बिन्नौरी रह० फ़रमाते हैं कि शायद शेख़ ने इसी को मुराद लिया होगा।

—मआरिफ़ुस्सुनन, भाग 4, पृ० 473

अल्लामा बिन्नौरी ने अपना या अपने बुज़ुर्गों का कोई और क़ौल ज़िक्र नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि वह 45 मील शारई वाले क़ौल पर राज़ी हैं। यह 45 मील शरई 45 मील अंग्रेज़ी से लगभग 5 किलो मीटर ज़्यादा है।

मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह० के ख़ास मुर्शिद मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रह० एलाउस्सुनन में लिखते हैं—

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मदीना मुनव्वरा से सुवैदा के सफ़र में नमाज़ का क़स्र होगा, जो तीन रात की दर्मियाना चाल पर है। यह क़स्र की हद वाली मुसाफ़त है और बुख़ारी इब्ने उमर और इब्ने अब्बास से, साथ ही दूसरों ने इब्ने अब्बास से जो नक़ल किया है (यानी 45 मील शरई) यह तख़्मीनी दूरी है, इसलिए दोनों क़ौलों में कोई टकराव नहीं, लेकिन जबकि तीन दिन की दूरी का अवाम सही अन्दाज़ा नहीं कर सकते थे, बल्कि उनके ख़्याल अलग-अलग होंगे, इसलिए बुज़ुर्गों ने फ़रसख़ों से अन्दाज़ा किया और फ़त्वा पन्द्रह फ़रसख़ (45 मील शारई) पर है, जैसा कि गुज़रा, इसलिए कि यह चार बरीद या उसके क़रीब है और यह हद बन्दी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह से रिवायत की गई है और मरफ़ूअन भी रिवायत की गई है, अगरचे ज़ईफ़ है, इसी को इमाम मालिक ने अख़्तियार किया है, इसलिए हमारे बाद के उलेमा ने अवाम की आसानी के लिए उस पर फ़त्वा दिया, इसलिए कि चार बरीद लगभग तीन दिन की मसाफ़त है। यह ऐसा ही है जैसे पानी के मसअले में ज़्यादा पानी की मिक़्दार दह दर दह से मुतऐयन कर दी।

—ऐला, भाग 7, पृ० 249

इससे ज़ाहिर है कि मौलाना उस्मानी 45 मील शरई वाले क़ौल को फ़त्वे वाला क़ौल मान रहे है और उसको चार बरीद के क़रीब साथ ही तीन दिन की मसाफ़त के क़रीब मानते हैं। इमाम मालिक रह० के क़ौल के क़रीब-क़रीब समझते हैं।

बहरहाल 48 मील शरई का क़ौल भी ज़ाहिर मज़हब 'तीन दिन' के क़रीब-क़रीब ही है, इसके ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए हज़रत गंगोही रह० और

हज़रत कश्मीरी का फ़त्वा ज़ाहिर मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं।

हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब मुफ़्ती आज़म पाकिस्तान ने भी अपनी किताब 'औज़ाने शरईया' में हज़रत गंगोही का फ़त्वा और चार बरीद की मर्फ़ूअ़ रिवायत, उम्दतुल क़ारी के हवाले से ज़िक्र की है। फ़त्वा गुज़र चुका, इसमें 4 बरीद (48 मील शरई) का ज़िक्र है। मर्फ़ूअ रिवायत के लफ़्ज़ों को देखिए, बल्कि इससे पहले हम मुफ़्ती साहब के लफ़्ज़ लिखते हैं, फ़रमाते हैं और 48 मील शरई के तै करने पर एक हदीस से भी दलील ली गई है जो दारे क़ुत्नी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया–

'ऐ मक्का वालो! चार बरीद से कम में नमाज़ का क़स्र मत करो जैसे मक्का से अस्फ़ान तक।' इस रिवायत की सनद में अगरचे एक रिवायत करने वाला ज़ईफ़ है, फिर भी चूंकि मदार असल मज़हब का तीन दिन की दूरी पर है, इसको सिर्फ़ ताईद के लिए पेश किया गया है और ताईद में ज़ईफ़ हदीस भी काफ़ी है। इसलिए दलील लेने में कोई हरज नहीं।

इमामुल उलेमा हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही क़द्दस सिर्रहू ने एक इस्तिफ़ता के जवाब में इस की तरफ़ इशारा फ़रमाया है, जिसकी ठीक-ठीक नक़ल यह है। — औज़ाने शरईया बिलफ़्ज़ही, पृ० 26-27

इसके बाद मुफ़्ती साहब के दोनों सवाल और उसके जवाब फ़तावा रशीदिया से नक़ल किए जो हमने पहले उन्हीं लफ़्ज़ों में पृ० 10 पर नक़ल किए।

ग़ौर कीजिए इस मर्फ़ूअ़ हदीस और हज़रत गंगोही के फ़त्वे से जो 48 मील साबित है वह 48 मील शरई है, क्योंकि बरीद चार फ़रसख़ या 12 मील की मुसाफ़त को कहा जाता है, जैसा कि मुफ़्ती साहब ने औज़ाने शरईया के पृ० 24 पर उसको इब्ने असीर की निहाया से नक़ल किया है। ज़ाहिर है कि इब्ने असीर में 12 मील शरई ही मुराद हैं, न कि अंग्रेज़ी, लेकिन मुफ़्ती साहब से भूल हुई कि आख़िर रिसाले में मरफ़ूअ़ हदीस और हज़रत गंगोही का फ़त्वा ज़िक्र करने के बाद बरीद के 12 मील अंग्रेज़ी गिन लिए और हिसाब लगा कर pkj cjhn D$48 ely vaxzsth fudky fy, tksgSjr[1] में डालने वाली भूल है।

1. यह भूल हज़रत मुफ़्ती साहब के बेटों को—मुफ़्ती मुहम्मद रफ़ी उस्मानी मद्दज़िल्लहू और मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी मद्द ज़िल्लहू को भी तस्लीम है और बाद की इशाअत में 12 मील अंग्रेज़ी को शरई से तब्दील कर दिया गया है।

उलेमा किराम को चाहिए कि वे मुफ़्ती की दलीलों को सही तस्लीम करें और भूल से बच कर नतीजे को तस्लीम करें।

अगर मर्फ़ूअ़ हदीस से ताईद सही है और इमामुल अलेमा का सिक़ा होना तस्लीम है तो क़स्र की मुसाफ़त 48 मील शरई माननी चाहिए, न कि अंग्रज़ी और इमामुल उलेमा के फ़त्वे के बाद किसी नई हद की कोई ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। और अगर मुफ़्ती साहब का कहना सही है कि 48 मील अंग्रेज़ी और 45 मील शरई, लगभग बिल्कुल मुताबिक़ है, तो फिर यह कहना भी ग़लत न होगा (जैसा कि मौलाना ज़फ़र अहमद साहब ने फ़रमाया) कि 45 मील शरई और 48 मील शरई लगभग बिल्कुल मुताबिक़ ही हैं और अगर दोनों में फ़र्क़ माना जाए तो चूंकि 45 मील बुज़ुर्गों की मिक़्दार है और 48 मील मर्फ़ूअ़ हदीस में ज़िक्र किया गया है, इसलिए 48 मील शरई को तर्जीह होना चाहिए, जिसको इमामुल उलेमा ने अख़्तियार फ़रमाया, साथ ही शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह० अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रह० ने भी और अल्लामा शब्बीर अहमद अस्मानी रह० जैसे बुज़ुर्गों ने भी और सहाबा किराम में से हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इसी के मुताबिक़ अमल रहा है। —मुअत्ता और बुख़ारी

हज़रत मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब रह० का फ़त्वा

48 मील अंग्रेज़ी की वज़ाहत मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब के फ़त्वे में भी मौजूद है और शायद[1] देवबन्द के उलेमा में सबसे पहले 48 मील अंग्रेज़ी की मिक़्दार मुफ़्ती साहब ही ने फ़रमाई और उसके बाद जिन लोगों ने उस पर फ़त्वा दिया, उन ही की पैरवी में है। मुफ़्ती साहब ने 48 मील की हद के लिए जो दलील दी है, वह देखिए, फ़तावा दारुल उलूम में इस सवाल के जवाब का ज़िक्र किया गया है—

सवाल— क्या फ़रमाते हैं उलेमा-ए-दीन इस बारे में कि क़स्र की शरई मुसाफ़त (दूरी) अंग्रेज़ी मील के हिसाब से, जिसकी मिक़्दार 1760 गज़ की है मेरठ से दिल्ली का सफ़र करने वाला क़स्र की नमाज़ पढ़ेगा या पूरी, जबकि दोनों के दर्मियान दूरी 45 मील है और शहर से 42 मील है।

1. मौलाना मुहम्मद याक़ूब साहब (रह०) अगरचे 48 मील अंग्रेज़ी मन्कूल है लेकीन तफ़सील मन्कूल नहीं। —फ़ज़्ल

जवाब– हनफ़ियों का मस्लक यह है कि तीन दिन यानी तीन मंज़िल के सफ़र में क़स्र करना, पस मेरठ से दिल्ली अगर तीन मंज़िल है क़स्र कर सकता है, वरना नहीं और फ़रसख़ों और मीलों का ज़ाहिर मज़हब के मुवाफ़िक़ एतबार नहीं। जिन बुज़ुर्गों ने फ़रसख़ों का एतबार आम लोगों की आसानी के लिए किया है, उसमें तीन क़ौल हैं– इक्कीस फ़रसख़ यानी 63 मील शरई, 18 फ़रसख़ यानी 58 मील शरई या पन्द्रह फ़रसख़ यानी 45 मील शरई और फ़त्वा दूसरे या तीसरे क़ौल पर है

–रद्दुलमुख़्तार

मील शरई चार हजार ज़िराअ़ का और ज़िराअ़ छः क़ब्ज़ा यानी लगभग आठ गिरह का, अंग्रेज़ी ज़िराअ़ आज के दौर में राइज है। पस शरई मील दो हज़ार गज़ का हुआ और अंग्रेज़ी मील जबकि सत्तरह सौ साठ गज़ का है तो फ़ी मील दो सौ चालीस गज़ का फ़र्क़ अंग्रेज़ी मील और शरई मील में हुआ तो 45 शरई मील क़रीब 50 अंग्रेज़ी मील के होगा और फ़रसख़ों के एतबार करने पर कम से कम क़स्र की मसाफ़त पचास मील होगी।

लेकिन जबकि एतबार करना फ़रसख़ों का असल मज़हब के ख़िलाफ़ है। तो अब मदार मंज़िलों पर होगा और यह मामला उर्फ़ और आदत कौर तजुर्बे की बुनियाद पर है और यह भी फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है कि तीन दिन के सफ़र से मुराद है कि तीन दिन के सफ़र से यह कम सफ़र सुबह के सूरज के ढ़लने तक जिस क़दर दूरी तै हो सके, वह मिक़्दार मीलों की मोतबर होगी। यही वज़ह मालूम होती है कि हमारे उस्तादों ने हर दिन बारह घंटे का सफ़र यानी सोलह मील अख़्तियार फ़रमाया है, क्योंकि रोज़ाना छः घंटे सफ़र के लिए मुक़र्रर किए जाएं, तो हर घंटा दो कोस पैदल आदमी दर्मियानी चाल से तै कर लेता है, इस एतबार से सफ़र की दूरी 48 मील यानी 36 कोस को क़रार दिया है।

–फ़तावा दारुल उलूम, भाग 4, पृ० 495 सवाल नं० 2340, पृ० 445, 461 , मुदल्लल व मुकम्मल

इस जवाब में मुफ़्ती साहब ने शामी के हवाले से 45 मील शरई या 58 मील शरई पर फ़त्वा नक़ल किया है, फिर फ़रमाया कि, 'जबकि एतबार करना फ़रसख़ों का असल मज़हब के ख़िलाफ़ है।' इस पर अर्ज़ है कि फ़रसख़ों का एतबार असल मज़हब नहीं, न यह कि मज़हब के ख़िलाफ़ है और इन दोनों बातों में फ़र्क़ है। अगर यह कहा जाए कि मज़हब के ख़िलाफ़ है तो 48 मील

अंग्रेजी और 36 कोस को क़स्र की दूरी बताना भी मज़हब के ख़िलाफ़ न होगा। साथ ही यह भी कि जिन बुज़ुर्गों ने फ़रसख़ों के ज़रिए मिक़्दार तै की है, यह समझ कर की है कि यह तीन दिन की दूरी है जैसा कि इब्ने हलहाम का क़ौल इस मज़्मनू का गुज़र चुका है।

ऐसा ही अल्लामा शामी का क़ौल पानी के मसले में गुज़र चुका है कि बाद के जिन लोगों ने इस पर फ़त्वा दिया, वे मज़हब को हमसे ज़्यादा जानते थे। (शामी, भाग 1, पृ० 129) यही बात यहां भी कही जा सकती है।

हां, यह कहना किसी क़दर माक़ूल है कि, 'यह मामला उर्फ़ और आदत और तजुर्बे पर मौक़ूफ़ है।' (इसलिए हम खुद अन्दाज़ा करेंगे कि दर्मियानी आदमी तीन दिन में कितना चल लेता है।) इस पर यह अर्ज़ है कि यह अन्दाज़ा भी हर इलाक़े और हर ज़माने के लिए हुज्जत नहीं हो सकता। जिस तरह मशाइख़ का अन्दाज़ा हमारे लिए हुज्जत नहीं था। मुफ़्ती साहब रह० के ज़माने में जो आदत थी, उसमें अब काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। लोगों की ताक़तें कम हो गईं, पैदल चलने की आदत लगभग छूट चुकी है, इसलिए इस अन्दाज़ को हर जगह और हर वक़्त के लिए लाज़िम करना खुद मुफ़्ती साहब के उसूल के ख़िलाफ़ होगा।

फिर इस अन्दाज़े में सिर्फ़ ज़वाल तक सफ़र का एतबार किया गया है। यह बात ज़ाहिरी रिवायत में नहीं है, तो यह भी फ़रसख़ों के एतबार की तरह हुआ, अगर फ़रसख़ों का एतबार नहीं तो सिर्फ़ बुज़ुर्गों के कहने से उसका एतबार क्यों किया गया, साथ ही साल के सबसे छोटे दिन का एतबार किया गया। यह भी सिर्फ़ कुछ बुज़ुर्गों का क़ौल है, रिवायत का ज़ाहिर नहीं। ये तमाम सवाल ज़ेहन में उभरते हैं।

हज़रत मुफ़्ती साहब के कलाम में 'हमारे उस्तादों' में से मालूम नहीं कौन से उस्ताद मुराद हैं। हज़रत गंगोही का क़ौल 48 मील शरई का गुज़र चुका है। हज़रत मुफ़्ती साहब के छोटे अल्लाती भाई मौलाना शब्बीर साहब का कलाम भी फ़त्हुल मुलहिम से नक़ल हो चुका है। वह अपने बुज़ुर्गों का मुख़्तार 48 मील शरई (4 बरीद) को बतलाते हैं, फिर ये उस्ताद कौन हैं,[1]

1. शायद मौलाना मुहम्मद याक़ूब सहाब नानौतवी रह० मुराद हैं, जैसा कि हज़रत थानवी रह० मलफ़ूज़ात 'इफ़ाज़ाते यौमिया, पृ० 48 से मालूम होता है, लेकिन इनसे अन्दाज़े की तफ़्सील हमको मालूम नहीं। —फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

वल्लाहु आलम, साथ ही हज़रत मुफ़्ती साहब ने ख़ुद लोगों की आदत देख कर यह मिक़्दार तै की हो, फ़त्वे से ऐसा मालूम नहीं होता, सिर्फ़ यह फ़रमाते हैं, 'यही वजह मालूम होती है कि हमारे उस्तादों ने रोज़ाना बारह कोस का सफ़र यानी सोलह मील अख़्तियार किया है।'

उन उस्तादों ने किस बुनियाद पर मिक़्दार तै फ़रमाई है, इसे मुफ़्ती साहब ने उस्तादों से नक़ल नहीं किया, मुफ़्ती साहब ने अपने तौर पर सिर्फ़ यह लिखा, 'रोज़ाना छः घंटे सफ़र के लिए मुक़र्रर किए जाएं तो हर घंटा दो कोस पैदल आदमी दर्मियानी चाल से तै कर लेता है।

लेकिन एक घंटे में दो कोस चल लेने से यह लाज़िम नहीं आता कि आदमी लगातार छः घंटे उसी रफ़्तार से चलता रहे। हिन्दुस्तान में अक़्सरु अय्यामिस्सुन्नः में फ़ज्र की नमाज़ के बाद से ज़वाल के पहले तक मुश्किल से छः घंटे मिलेंगे और क्या बराबर छः घंटे बग़ैर बीच में रुके हुए दर्मियानी क़िस्म के आदमी के लिए चल लेना आसान है? कितने लोगों की आदत और तजुर्बा देखने में आया है? यह बात ग़ौर के क़ाबिल है।

फिर एक दिन चल लेना काफ़ी नहीं, दूसरे दिन भी उसी तरह चलना चाहिए और तीसरे दिन भी। आजकल यह देखा जाता है कि हिन्द व पाक की पैदल जमाअतें एक दिन मिसाल के तौर पर 15 किलो मीटर चलती हैं तो किसी मस्जिद में ठहर कर दो तीन दिन काम करती हैं, फिर सफ़र करती हैं, इसको भी उर्फ़ आदत नहीं कह सकते। यह चल लेना बहुत बड़ा कमाल समझा जाता है। इनका साथ देने वाले ज़रा कम होते हैं।

इस तरह सोचा जाए तो क़स्र की दूरी और कम होनी चाहिए, शायद इसी लिए मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह ने 35 मील अंग्रेज़ी को क़स्र के लिए काफ़ी बताया है। लिखते हैं—

जवाब 564 : अंग्रेज़ी मील से 36 मील की दूरी क़स्र नमाज़ के लिए काफ़ी है।

—किफ़ायतुल मुफ़्ती, भाग 3, पृ०331

और हज़रत मौलाना ख़लील अहमद सहारनपुरी रह० फ़रमाते हैं, दूसरे लोगों के नज़दीक 12 कोस हुए और मेरे नज़दीक 12 मील—तज़्करतुल ख़लील, पृ० 291। (तीन दिन के 36 मील हुए)

मौलाना अब्दुशशकूर साहब लखनवी ने भी 36 मील लिखा है, फ़रमाते

हैं– औसत दर्जे का आदमी एक दिन में 12 मील से ज़्यादा नहीं चल सकता।

—इल्मुल फ़िक़्ह, भाग 2, पृ० 95

मौलाना अब्दुल हई फ़रंगी महली का भी यही क़ौल था, जैसाकि मौलाना बुरहानुद्दीन संभली मद्द ज़िल्लहू ने लिखा है।

—शरई मुसाफ़त, लेख मौलाना मेहरबान अली साहब, पृ० 250

शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी लिखा है कि इस क़ायदे से मुश्किल ही से कोई आदमी 16 मील चल सकता है, बल्कि 15 मील चलना भी मुश्किल होगा। कुछ लोगों ने 12 मील रोज़ाना और कुछ 15 मील रोज़ाना क़रार देते हैं। हमारे बड़ों ने 16 मील रोज़ाना एहतियात के तौर पर क़रार दिया है, इससे ज़्यादा क़रार देना अक़्ल के ख़िलाफ़ है।

—मक्तूबात, भाग 3, पृ० 144

हज़रत नानौतवी से 14 मील मुसाफ़त क़स्र नक़ल की गई है।

—मसुाफ़ते क़स्र, लेखः मेहरबान अली, पृ० 53

इन लोगों के ज़माने में जो आदत थी, अब उसमें तब्दीली आ गई है। तो हज़रत मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब के बयान किए हुए 'उर्फ़ और आदत और तर्जुबा' पर किस तरह अमल होगा? जो चीज़ उर्फ़ व आदत पर टिकी होती है, वह उर्फ़ व आदत के बदलने से बदल जाती है। जब वह आदत नहीं रही, तो वह फ़त्वा भी नहीं होना चाहिए, वरना सवाल होगा कि शामी वग़ैरह में ज़िक्र किए गए हनफ़ी बुज़ुर्गों की तै की गई हदको क्यों छोड़ा गया? इसको नए सिरे से क्यों तै किया गया? ज़ाहिर है कि इसका जवाब यही है कि इलाक़ा या उर्फ़ व आदत के बदलने की वजह से।

हमारे बड़ों का इख़्तिलाफ़ अन्दाज़े के बारे में सामने आ चुका है। हज़रत मौलाना ख़लील अहमद साहब रह०, मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रह०, मुफ़्ती आज़म और मौलाना अब्दुशशकूर लखनवी रह० के अन्दाज़े और बयान की गई मिक़्दार पर अमल क्यों नहीं होगा? इन लोगों ने भी तो अपने इलाक़े और ज़माने की आदत को देख कर यह मिक़्दार मुक़र्रर की है।

साउथ अफ़्रीक़ा में तो पैदल चलने की आदत, उर्फ़ व तजुर्बा सिरे से है ही नहीं, फिर जो फ़त्वा किसी ख़ास आदत और तजुर्बे की बुनियाद पर दिया गया है, उसको यहां जारी करना किस तरह सही होगा? यह एक ग़ौर करने का मसला है। हज़रत मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान के बयान किए गए मिक़्दार को

हर जगह और हर ज़माने में जारी करना ख़ुद उनके बयान किए गए उसूल के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि उन्होंने लिखा है कि यह मामला उर्फ़ और आदत और तजुर्बे की बुनियाद पर होता है। बताया जाए यहां क्या उर्फ़ और आदत है?

इन सब बातों को सामने रखते हुए समझ में आता है कि हज़रत गंगोही के फ़त्वे पर अमल करना सबसे ज़्यादा मुनासिब और मुहतात होगा, इसलिए कि वह मर्फ़ूअ़ हदीस के मुताबिक़ है, चाहे ज़ईफ़ ही सही और सहाबा किराम में से इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़त्वे से उसको तक्वियत और ताईद हासिल है और यह मुसाफ़त तीन दिन, तीन रात जो असल मज़हब है, उससे टकराती नहीं, बल्कि उसके मुताबिक़ है और तीन इमाम मालिक, शाफ़ई, अहमद रहमहुमुल्लाहु के मज़हब के मुवाफ़िक़ भी है और इसमें अपनी तरफ़ से अन्दाज़ा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जिस की वजह से काफ़ी इख़्तिलाफ़ है।

शायद इन्ही वजहों से हज़रत गंगोही रह० ने रद्दुल मुख़्तार में दूसरे क़ौलों को छोड़ कर मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत की तरफ़ रुजूअ़ फ़रमाया। हज़रत जैसे इंसान का तरीक़ा हमारे लिए एक रास्ते का चिराग़ है। हज़रत अ़ल्लामा कश्मीरी रह० ने भी तीनों इमामों की मुवाफ़क़त की वजह से इसको अख़्तियार फ़रमाया और अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि के बुज़ुर्गों ने भी इस पर फ़त्वा दिया और शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी के कलाम से भी यही रुझान समझ में आता है।

इसलिए हमारे ख़्याल में यही क़स्र की मुसाफ़त (दूरी) यानी 48 मील शरई यानी लगभग 54 मील अंग्रेज़ी यानी लगभग 88.864 किलो मीटर सबसे ज़्यादा सही मुनासिब और मुहतात क़स्र की मुसाफ़त हे। हम इसी पर अमल करते हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब

फ़ज़्लुर्रहमान आज़मी

आज़ादोल, साऊथ अफ़्रीक़ा

3 रजब 1411 हि०

मुताबिक़ 20 जनवरी सन् 1981 ई०

लेखक के मुख़्तसर हालात

पैदाइश और तालीम

पैदाइश 1366 हि० में मऊ में हुई। शुरू से आख़िर तक तालीम मऊ ही में हुई। और 1386 हि० में मिफ़्ताहुल उलूम मऊ से फ़राग़त हासिल की। फ़राग़त के बाद मुख़्तलिफ़ किबातें पढ़ीं, क़िरात सबआ़ भी। मुहद्दिसे कबीर मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी की ख़िदमत में रहकर फ़त्वा की किताबें पढ़ीं और इफ़्ता की मश्क़ की। मशहूर उस्तादों में मुहद्दिस आज़मी मौलाना अब्दुल्लतीफ़ नोमानी रहमतुल्लाहि अलैहि और मौलाना अब्दुर्रशीद रह० वग़ैरह हैं।

तदरीस (मुदर्रिसी) और ख़िदमतें

तीन चार साल के बाद मज़हरुल उलूम बनारस में पढ़ाई शुरू की, मुख़्तलिफ़ किताबें पढ़ाईं, 'जिनमें मिश्कात व तिर्मिज़ी भी है। वहां फ़तावानवेसी की ख़िदमतें भी अंजाम दीं। चार साल वहां क़ियाम रहा।

फिर 1394 हि० में जामिया डाभेल तशरीफ़ ले गए और वहां अक्सर दर्सी किताबें पढ़ाईं। आख़िर में मिश्कात, जलालैन, तहावी, इब्ने माजा, नसई वग़ैरह भी पढ़ाई। वहां तारीख़े जामिया इस्लामिया डाभेल भी तर्तीब दी, जो छप चुकी है। 1403 हि० में सबआ अशरा भी पढ़ाई और मुक़दमा इल्मे क़रात भी तर्तीब दिया, जिस में क़ुर्रा अशरा और उनके रावियों का तज़्किरा भी है।

1406 हि० में मदरसा इस्लामिया आज़ादोल साउथ अफ़्रीक़ा तशरीफ़ लाए। 1408 हि० से शेख़ुल हदीस मुक़र्रर हुए और अल्लाह के फ़ज़्ल से अलग-अलग किताबें बुख़ारी, तिमिर्ज़ी और तहावी पढ़ाते रहते हैं।

कई किताबें और रिसाले भी आपने तर्तीब दिए जो अब छप रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है तब्लीग़ी ख़िदमात में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत से शहरों और जगहों के सफ़र भी होते रहते हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्तंबोल, मारीशस, रियूनियन और अफ़्रीक़ा के दूसरे देश, हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत से भी बार-बार मुर्शरफ़ हो रहे हैं। हज़रत मौलाना हकीम मुहम्मद अख़्तर साहब मद्द ज़िल्लहू (ख़लीफ़ा हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब हरदोई मद्द ज़िल्लहू) के ख़लीफ़ा भी हैं। अल्लाह के फ़ज़्ल से दीन के अक्सर हिस्सों में मेहनत फ़रमाई है। अल्लाह तआला इल्म व अमल और उम्र व सेहत में बरकत अता फ़रमाए। (आमीन)

—अतीक़ुर्रहमान आज़मी

सफ़र में नमाज़ रोज़े के बहुत से मसाइल बदल जातें हैं, लेकिन यह बात हर बड़े छोटे सफ़र की नहीं है बल्कि यह तब्दीली ''सफ़्रे शरई'' में पेश आती है।

''सफ़्रे शरई'' कितनी दूरी का होता है? इसमें इख़्तिलाफ़ है। पुराने ज़माने में दूरी नापने के तरीक़े दूसरे थे, दर्मियानी दौर में वह बदल गये, फिर शरई मील का रिवाज हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ी मील का रिवाज हुआ, उन दोनों मीलों में भी फ़र्क़ था।

आज किलोमीटर का रिवाज हो गया है। इन तमाम तब्दीलियों की वजह से''सफ़्रे शरई'' के समझने में दुश्वारी पैदा हो गई, हर दौर के बड़े आलिमों ने इन तब्दीलियों और इन फ़र्क़ों को समझाने की कोशिश की।

इस किताब में नये पुराने तमाम हिसाबों की तहक़ीक करके और आज के किलोमीटर की पैमाइश बयान करके मस्ले को आसान करके समझा दिया गया है।